


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे टप्पे



| | | | |
|----|--|---|---|
| १० | रेखांकन आराखडे मान्यता बांधकाम नकाशे | → | सहाय्यक संचालक नगर रचना |
| ११ | बांधकाम नकाशास मंजूरी | → | सहाय्यक संचालक नगर रचना |
| १२ | जोते तपासणी दाखला | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता |
| १३ | जोते तपासणीनंतरचा टी.डी.आर. दाखला २५% | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / नगर रचनाकार / सहाय्यक संचालक नगर रचना / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| १४ | आर.सी.सी. वीट काम पूर्णत्वानंतरचा टी.डी.आर. दाखला ३५% | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / नगर रचनाकार / सहाय्यक संचालक नगर रचना / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| १५ | बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व त्याबाबत अर्ज देणे | → | विकसक / आर्कीटेक्ट |
| १६ | योग्यता प्रमाणपत्र टिपणी मान्यता | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / सहाय्यक संचालक नगर रचना / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| १७ | भोगवटा प्रमाणपत्र देणे | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / सहाय्यक संचालक नगर रचना |
| १८ | पात्र झोपडीधारकांना सदनिका वाटप करणे | → | तहसीलदार, ताबा विभाग & विकसक |
| १९ | पात्र लाभधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून नोंदणी करणे | → | सहायक निबंधक |
| २० | सदनिकांचे हस्तांतरण पत्र करणे व सदनिकांचा पात्र लाभधारकांना ताबा देणे जागेचे अभिहस्तांतरण सोसायटीच्या नावे करणे | → | तहसीलदार, ताबा विभाग & विकसक |
| २१ | भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर टी.डी.आर. दाखला ३०% | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / नगर रचनाकार / सहाय्यक संचालक नगर रचना / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| २२ | सर्व पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झालेनंतर सोसायटी स्थापना कन्वेन्शन डीड इ. बाबींची पूर्तता झालेनंतर १०% टी.डी.आर. | → | कनिष्ठ अभियंता / उप अभियंता / नगर रचनाकार / सहाय्यक संचालक नगर रचना / मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| २३ | १० वर्षानंतर सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क आकारून परवानगी देणे | → | ताबा विभाग / सहकार विभाग |